



2026: AHC : 45954

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7012 वर्ष 2026

तपेश्वरी देवी एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सौरभ कुमार पांडेय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ को वाद संख्या 00429 वर्ष 2020 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202015060400429) को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उ.प्र. अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को संज्ञान में लेना उचित होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार सख्ती से समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7):

"(7). तहसीलदार नामांतरण के निर्विवाद मामले को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामांतरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसका कारण दर्ज किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के दृष्टिगत और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन को लें और कानून के अनुसार सख्ती से इसके गुण-दोष के आधार पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर अत्यंत शीघ्रता से निस्तारण करें, तथा जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

27 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।